

प्ररूप-ड.

(नियम 7(2) देखिये)

अनुमति

क्रमांक/2016/अ.अ./वा-1/2025

गरियाबंद दिनांक 18.07.2025

प्रति,

श्री शिव खापर्डे,

अध्यक्ष बौद्ध महार समाज गरियाबंद

जिला-गरियाबंद(छ.ग.)

विषय :- प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

---000---

विषयांतर्गत आपका आवेदन दिनांक 21.05.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ। राजस्व विभाग एवं वन विभाग का संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 11.07.2025 को प्राप्त हुआ। आवेदन में उल्लेखित तथ्यों का सत्यापन किया गया। स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:-

संयुक्त प्रतिवेदन के आधार पर आवेदित भूमि ग्राम गरियाबंद, प.ह.नं. 10 में स्थित शामिल खसरा नम्बर 978/1, 2, 3 रकबा 5.856हे0 प्रचलित आबादी शाराकीय भूमि है, जिसमें 11263 वर्गफीट में बौद्ध महार समाज का घेरा लगा हुआ है। उक्त 11263 वर्गफीट भूमि में 04 नग बीजा वृक्ष है जिसमें से 03 नग बीजा वृक्ष सूखा एवं खड़ा है तथा 01 नग बीजा वृक्ष गीला एवं खड़ा है। सूखे वृक्ष कभी भी बरसात, आंधी-तूफान में गिर सकता है जिससे जनहानि की संभावना है। जनहानि की संभावना को देखते हुए आवेदक द्वारा काटने जाने की अनुशंसा चाहते हैं।

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि खसरा नम्बर 978/1, 2, 3 ग्राम-गरियाबंद, प.ह.नं. 10, तहसील-गरियाबंद स्थित वृक्ष जिनकी प्रजाति बीजा एवं संख्या (क्रमशः) 04 है, को काटे जाने पर संहिता के किन्ही उपबंधों का उल्लंघन नहीं हो रहा है। अतः वृक्ष कटाई के आवेदन पर अनुमति अभिव्यक्त की जाती है।

छत्तीसगढ़ वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969 (क. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) के अंतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)

गरियाबंद

गरियाबंद दिनांक 18.07.2025

पृ.क्रमांक/2016/अ.अ./वा-1/2025

प्रतिलिपि :-

1. कलेक्टर महोदय गरियाबंद को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. वनमण्डलाधिकारी, वनमण्डल गरियाबंद को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. तहसीलदार गरियाबंद को वृक्ष कटाई पश्चात राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)

गरियाबंद